12. संसद

संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के पांचवें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है।

संसद का गठन

संविधान के अनुसार भारत की संसद के तीन अंग है- राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। 1954 में लोकसभा व राज्यसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा, उच्च सदन कहलाता है (दूसरा चैंबर या बड़ों की सभा) जबकि लोकसभा निचला सदन (पहला चैंबर या चर्चित सभा) कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।

हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है।

दोनों सदनों की संरचना

राज्यसभा की संरचना

राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि (अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) होंगे, जबकि, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है।

- **मनोनीत या नाम निर्देशित सदस्य:** राष्ट्रपति, राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामांकित या नाम निर्देशित करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।
- **संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व:** राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि को एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
- **राज्यों का प्रतिनिधित्व:** राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

लोकसभा की संरचना

लोकसभा की अधिकतम क्षमता 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत या नाम निर्देशत करता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं।

- **मनोनीत या नाम निर्देशित सदस्य:** अगर एंग्लो-इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, तो राष्ट्रपति इस समुदाय के दो लोगो को नामांकित या उनका नाम निर्देशित कर सकता है।
- **संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व:** संविधान ने संसद को संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाने लगे।
- **राज्यों का प्रतिनिधित्व:** लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या कानून के प्रावधानों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन विधेयक, 1988 में मत देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी गई।

लोकसभा की चुनाव प्रणाली

लोकसभा चुनाव प्रणाली के निम्नलिखित पहलू हैं-

प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र

लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस संबंध में संविधान ने दो प्रावधान बनाए हैं-

- प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में एक ही हो।

- लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के एक समान हो। यह प्रावधान उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिसकी जनसंख्या 60 लाख से कम है।

प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन

प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा में स्थानों का आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का समायोजन किया जाता है। संसद को यह अधिकार है कि वह किस प्राधिकारी द्वारा किस रीति से इनका पुनः समायोजन करे। इसी के तहत, संसद ने 1952, 1962, 1972 व 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए।

अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण

हालांकि संविधान में किसी धर्म विशेष के प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। हालांकि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं लेकिन उनका निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है।

दोनों सदनों की अवधि

राज्यसभा की अवधि

राज्यसभा (पहली बार 1952 में स्थापित) निरंतर चलने वाली संस्था है। यानी, यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता किंतु इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोनयन होता है। सेवा निवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और मनोनीत हो सकते हैं।

लोकसभा की अवधि

राज्यसभा से अलग, लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से पांच वर्ष के लिए होती हैं, इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति के पास पांच साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है।

इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

संसद की सदस्यता

योग्यताएं

संविधान ने संसद में चुने जाने के लिए निम्नलिखित अर्हता निर्धारित की हैं–

- उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए।
- उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसे निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची मे दिए प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा लेना चाहिए।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) में संसद ने निम्नलिखित अन्य अर्हतायें निर्धारित की है।

- लोकसभा के लिए भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।
- राज्यसभा के लिए उस व्यक्ति को, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।

अयोग्यतायें

संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता–

- यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अयोग्य कर दिया जाता है।
- यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है (संसद द्वारा तय कोई पद या मंत्री पद को छोड़कर)।
- यदि वह दिवालिया है।
- यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है।
- यदि वह विकृत चित्त है और न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है।

संसद ने रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल अधिनियम (1951) में निम्नलिखित अन्य अयोग्यताएं निर्धारित की हैं–

- यदि वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा हो।
- उसे किसी अपराध में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो।
- यदि वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के

तहत दोषी करार दिया गया हो।

दल-बदल के आधार पर अयोग्यता

संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जा सकता है, अगर उसे दसवीं अनुसूची के प्रावधनों के अनुसार दल-बदल का दोषी पाया गया हो। सदस्यों को दल बदल कानून के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत अयोग्य करार दिया जा सकता हैं-

- अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है, जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो।
- अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गये निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है।

स्थानों का रिक्त होना

निम्नलिखित स्थिति मे संसद सदस्य स्थान रिक्त करता है-

- **दोहरी सदस्यता:** कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता।
  - अगर कोई व्यक्ति दो सीटों पर चुना जाता है, तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट खाली करने का अधिकार है। अन्यथा, दोनों सीटें खाली हो जाती हैं।
  - यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर, राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी।
  - अगर किसी सदन का सदस्य, दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है।

  इसी प्रकार, कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता।
- **अयोग्यता:** यदि कोई व्यक्ति संविधान में दिए किसी विनिर्दिष्ट अयोग्यता से ग्रस्त पाया जाता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है।
- **पदत्याग:** कोई सदस्य, यथा स्थिति, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है।
- **अनुपस्थिति:** यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है।

शपथ या प्रतिज्ञान

संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। शपथ या प्रतिज्ञान में संसद सदस्य प्रतिज्ञा करता है-

- वफादारी से कर्तव्य का पालन करेगा।
- भारत के संविधान में सच्ची आस्था व निष्ठा वहन करेगा।
- भारत की प्रभुता व अखंडता को बनाए रखेगा।

वेतन और भत्ते

संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान में इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है।

संसद के पीठासीन अधिकारी

संसद के प्रत्येक सदन का अपना सभापति होता है। लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व राज्सभा में सभापति व उपसभापित होते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष

पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के मध्य से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवनकाल पर्यत पद धारण करता है। हालांकि उसका पद निम्नलिखित रूप से इससे पहले भी समाप्त हो सकता है-

- यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करे।
- यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता।
- यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटाएं। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब लोकसभा भंग होती है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है।

अध्यक्ष की शक्तियां व कर्त्तव्य निम्नलिखत हैं-

- वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के चेयरमैन की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है।
- अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में सदन को स्थगित कर दे।
- सामान्य स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं है परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है।
- दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल विरोधी कानून के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निपटारा करता है।
- अध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में पीठासीन होगा।
- अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक, धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम होता है।
- सदन के कामकाज व कार्यवाही के लिए वह नियम व कानून का निर्वहन करता है। यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है। उसका निर्णय अंतिम होता है।

लोकसभा का उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की तरह, उपाध्यक्ष भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है।

अध्यक्ष की ही तरह, उपाध्यक्ष सदन के जीवनकाल पर्यंत अपना पद धारणा करता है। परंतु उसका पद निम्नलिखित रूप से इसके पहले भी समाप्त किया जा सकता है–

- अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करने पर,
- लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाए जाने पर।
- उसके सदन के सदस्य न रहने पर,

लोकसभा में उपसभासदों का पैनल

लोकसभा के नियमों के मुतबिक, अध्यक्ष पैनल के सदस्यों में से 10 उपसभासद चेयरपर्सन को नामांकित करता है। इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है।

प्रो टेम अध्यक्ष

संविधान में व्यवस्था है कि पिछले लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रो टेम अध्यक्ष नियुक्त करता है। राष्ट्रपति खुद प्रो टेम अध्यक्ष को शपथ दिलाता है।

प्रो टेम अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है।

राज्यसभा का सभापति

राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति स्वाभाविक रूप में इसका सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। अध्यक्ष के विपरीत सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है।

राज्यसभा का उपसभापति

राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना उपाध्यक्ष चुनती है। उपसभापति अपना पद निम्नलिखित में से किसी भी कारण से छोड़ता है-

- इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि उपसभापति सभापति के अधीन नहीं होता। यह राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है।
- यदि वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा सौंप दे।
- यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए।
- यदि राज्यसभा में बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए।

संसदीय सचिवालय

संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है यद्यपि इनमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान हैं। उनकी भर्ती एवं सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है।

संसद में नेता

सदन का नेता

लोकसभा के नियमों के तहत 'सदन का नेता' का अभिप्राय है प्रधानमंत्री। वह लोकसभा सदस्य है या मंत्री। जो लोकसभा सदस्य है, प्रधानमंत्री द्वारा 'सदन का नेता' के रूप में मनोनीत होता है। राज्य सभा में भी एक 'सदन का नेता' होता है। वह मंत्री होता है और राज्यसभा का सदस्य भी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है।

विपक्ष का नेता

संसद के दोनों सदनों में एक-एक 'विपक्ष का नेता' होता

है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के दसवें हिस्से के करीब होने चाहिये। लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में महत्ता मिली। उसे वेतन, भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती हैं।

ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी संस्था है जिसे 'शैडो कैबिनेट' (छाया मंत्रिमंडल) कहा जाता है। इसे विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार किया जाता है।

व्हिप

हर राजनीतिक पार्टी का, चहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में, संसद में अपना व्हिप होता है। उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे और संबंधित मुद्दे के खिलाफ पार्टी का सहयोग करे।

संसद के सत्र

सम्मनिंग (सभा में उपस्थित होने का आदेश)

संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय-समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सामान्यत: वर्ष में तीन सत्र होते हैं-

- बजट सत्र (फरवरी से मई)।
- मानसून सत्र (जुलाई से सितंबर)।
- शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसंबर)।

स्थगन

संसद के एक सत्र मे काफी बैठकें होती है। कार्यवाही अधिकारी संसद की एक बैठक को भंग या स्थगित कर सकता है। एक सत्र के अवसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि को 'अवकाश' कहते हैं।

भंग

कार्यवाही अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) सदन के कार्य समाप्त होने के बाद सदन को भंग कर सकता है।

एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। सिर्फ लोकसभा भंग होती है, भंग की प्रक्रिया सदन को समाप्त कर देती है और इसका पुनर्गठन एक चुनाव के बाद ही होता है।

जब लोकसभा भंग की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे- अध्यादेश, प्रस्ताव, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। कुछ अध्यादेश समाप्त नहीं भी होते हैं।

गणपूर्ति (कोरम)

'कोरम' या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में कार्यवाही अधिकारी समेत कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा है।

सदन में मतदान

सभी मामलों पर सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से मामला पारित होता है। कुछ मामलों जैसे-राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, संविधान संशोधन कार्यवाही, अधिकारी को हटाना आदि में विशेष बहुमत की जरूरत होती है।

संसद में भाषा

संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित की है।

लेम-डक सत्र

यह नयी लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। अर्थात् वर्तमान लोकसभा के अन्तिम सत्र तथा नयी लोक सभा के प्रथम सत्र के बीच का समय लेम-डक सत्र कहलाता है।

संसदीय कार्य की योजना

प्रश्नकाल

संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यत: मंत्री जवाब देते हैं। प्रश्न तीन तरह के होते हैं- मौखिक, लिखित एवं अल्पसूचना वाले।

- मौखिक प्रश्न का मौखिक जवाब जरूरी होता है और एक पूरक प्रश्न इसका अनुसरण करता है। दूसरी तरह के प्रश्न पर लिखित उत्तर जरूरी होता है और अल्प सूचना प्रश्नों के लिए आवश्यक है कि दस दिन से कम दिन की सूचना न दी जाए।

शून्यकाल

प्रश्नकाल की तरह कार्यवाही के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस तरह यह अनौपचारिक योजना है जो संसद सदस्यों को बिना पूर्व सूचना के उपलब्ध है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है।

अविश्वास प्रस्ताव

संविधान का अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगी। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव लाने के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है।

धन्यवाद प्रस्ताव

प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं मौद्रिक वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का खाका खींचता है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है। नहीं तो इसका तात्पर्य सरकार का पराजित होना है।

प्वाइंट ऑफ आर्डर

जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता तो एक सदस्य प्वाइंट आफ आर्डर के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। इसे सदन के विनियम से संबंधित होना चाहिये। यह ऑर्डर सामान्यता विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार पर नियन्त्रण के लिए उठाया जाता है।

निंदा प्रस्ताव बनाम अविश्वास प्रस्ताव

निंदा प्रस्ताव	अविश्वास प्रस्ताव
• लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है।	• लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है।
• यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे	• यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। सकता है।
• यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ लाया जाता है।	• यह लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति विश्वास का पता लगाता है।
• यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद का आवश्यक नहीं है।	• यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देना को त्यागपत्र देना ही पड़ता है।

आधे घंटे की बहस

इसका मतलब है कि पर्याप्त सार्वजनिक महत्व के मामलों आदि पर बहस हो। अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में तीन दिन निर्धारित करता है। इसके लिए सदन के बाहर कोई औपचारिक प्रस्ताव के लिए मतदान नहीं होता।

अल्पकालिक बहस

इसे दो घंटे का बहस भी कहते हैं क्योंकि इस तरह की बहस के लिए दो घंटे से अधिक का समय नहीं लगता। संसद सदस्य किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले को बहस के लिए रख सकते हैं।

संसद में विधायी प्रक्रिया

विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान स्तर पर पारित होता है। संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं– सार्वजनिक विधेयक एवं निजी विधेयक। संसद में प्रस्तुत विधेयकों को निम्न चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

- **साधारण विधेयक :** वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबद्ध विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं।
- **धन विधेयक :** ये विधेयक वित्तीय विषयों यथा–करारोपण, लोक व्यय इत्यादि से संबंधित होते हैं।
- **वित्त विधेयक :** ये विधेयक भी वित्तीय विषयों से ही संबंधित होते हैं।
- **संविधान संशोधन विधेयक:** ये विधेयक संविधान के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित होते हैं।

साधारण विधेयक

- **प्रथम वाचन:** साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सदस्य सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो पहले सदन को इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। विधेयक का प्रस्तुतीकरण एवं उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम वाचन कहलाते हैं।
- **द्वितीय वाचन:** इस चरण में प्रवर समिति द्वारा विधेयक की समीक्षा की जाती है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। विधेयक के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वास्तव में इस चरण के तीन उप–चरण होते हैं, जिनके नाम हैं– साधारण बहस की अवस्था, प्रवर समिति द्वारा जांच एवं विचारणीय अवस्था।
- **साधारण बहस की अवस्था:** विधेयक की प्रिंटेड

प्रतियां सभी सदस्यों के बीच वितरित कर दी जाती हैं। सामान्यता: विधेयक के सिद्धांत एवं प्रावधानों पर चर्चा होती है। लेकिन विधेयक पर विस्तार से विचार-विमर्श नहीं किया जाता है।

- **समिति की अवस्था:** सामान्यता: विधेयक को सदन की एक समिति को सौंप दिया जाता है। यह समिति विस्तारपूर्वक विधेयक के समस्त प्रावधानों पर विचार करती है लेकिन वह इसके मूल विषय में परिवर्तन नहीं करती। समीक्षा एवं परिचर्चा के उपरांत समिति विधेयक को वापस सदन को सौंप देती है।
- **विचार-विमर्श की अवस्था:** समिति से विधेयक प्राप्त होने के उपरांत सदन द्वारा भी विधेयक के समस्त प्रावधानों की समीक्षा की जाती है। विधेयक के प्रत्येक प्रावधान पर पृथक-पृथक रूप से चर्चा एवं मतदान होता है। इस अवस्था में सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि संशोधन स्वीकार हो जाते हैं तो वे विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं।

- **तृतीय वाचन:** इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है तथा विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है।
- **दूसरे सदन में विधेयक:** एक सदन से पारित होने के उपरांत दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम-द्वितीय एवं तृतीय वाचन होता है। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष निम्न चार विकल्प होते हैं–
  - यह विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करके उसे लंबित रख सकता है।
  - यह विधेयक को बिना संशोधन किये पारित करके प्रथम सदन को विचारार्थ भेज सकता है।
  - यह विधेयक को पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है।
  - यह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है।
- **राष्ट्रपति की स्वीकृति:** संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा जाता है। इस समय राष्ट्रपति के समक्ष तीन प्रकार के विकल्प होते हैं–
  - वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन को वापस लौटा सकता है।
  - वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है,
  - वह विधेयक को रोक सकता है, या
- यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो यह कानून बन जाता है किंतु यदि राष्ट्रपति इसे अस्वीकार कर देता है तो यह निरस्त या समाप्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को वापस भेजता है और सदन संशोधन करके या बिना संशोधन किये उसे राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजता है तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने हेतु बाध्य होता है।

धन विधेयक

संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गयी है। इसके अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जायेगा, जब उसमें निम्न वर्णित में से एक या अधिक या समस्त प्रावधान होंगे–

- इनमें से संबंधित किसी विषय पर आकस्मिक विचार।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा उधार लिये गये धन का विनियमन।
- भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि का अधीक्षण, इन निधियों से किसी प्रकार के धन का आहरण या निकासी।
- भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि।
- भारत की संचित निधि से धन का विनियमन।
- भारत की संचित निधि या सार्वजनिक लेखों में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अधीक्षण या इनसे व्यय या इनका केन्द्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण, या
- किसी कर का आरोपण, संग्रहण, परिवर्तन या समाप्ति।

यद्यपि कोई विधेयक निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जायेगा–

- किसी स्थानीय निकास द्वारा स्थानीय प्रायोजनों हेतु किसी कर का आरोपण, संग्रहण, परिवर्तन या निरस्तीकरण। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है।
- अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के शुल्क हेतु अनुदान।
- किसी प्रकार का अर्थदंड या जुर्माना।

साधारण विधेयक बनाम धन विधेयक

साधारण विधेयक	धन विधेयक
• इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पेश किया जा सकता है।	• इसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
• इसे या तो मंत्री द्वारा या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है	• इसे सिर्फ मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता सकता है।
• यह बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पेश होता है।	• इसे सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पेश किया जा सकता है।
• इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है।	• इसमें राज्यसभा कोई संशोधन या अस्वीकृति नहीं कर सकती है।
• इसे राज्यसभा अधिकतम छह माह के लिए रोक सकती है।	• इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए नहीं कर सकती है।
• इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष की अनुमति की जरूरत नहीं होती।	• इसे अनुमति की जरूरत होती है।
• इसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी जाता है। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति बुला सकता है।	• इसे सिर्फ लोकसभा से पारित होने के बाद के लिए भेजा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। संयुक्त बैठक इसमें दोनों सदनों के बीच अहसमति का कोई अवसर ही नहीं होता।
• इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र सकता है। (यदि इसे मंत्री ने पेश किया हो)।	• इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार देना पड़ को त्यागपत्र देना पड़ता है।
• इसे अस्वीकृत, पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा सकता है।	• इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता जा है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा लौटाया नहीं जा सकता है।

वित्त विधेयक

साधारणतया वित्त विधेयक, उस विधेयक को कहते हैं, जो आय-व्यय से संबंधित होता है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नये प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। वित्त विधेयक निम्न तीन प्रकार के होते हैं-

- धन विधेयक - अनुच्छेद 110
- वित्त विधेयक (I) - अनुच्छेद 117(1)
- वित्त विधेयक (II) - अनुच्छेद 117 (3)

इस वर्गीकरण के अनुसार, सभी धन विधेयक, वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक, वित्त विधेयक होते हैं। किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक को लोकसभाध्यक्ष द्वारा ही परिभाषित किया जाता है। वित्त विधेयक-I तथा II की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 117 में की गयी है।

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

किसी विधेयक पर अवरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई हैं। यह निम्नलिखित तीन में से किसी एक परिस्थिति के समय बुलाई जाती हैं-

- यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।
- यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो।
- दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज्यादा समय हो जाए।

उपरोक्त तीन परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इस पर मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर ही लागू है।

संसद में बजट

संविधान में बजट को 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है। दूसरे शब्दों में, 'बजट' शब्द का संविधान में कही उल्लेख नहीं है। 'वार्षिक वित्तीय विवरण' का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। भारत सरकार के दो बजट होते हैं, रेल बजट और आम बजट। रेल बजट को आम बजट से एकवोर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1921 में अलग किया गया।

संवैधानिक व्यवस्था

बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित व्यवस्थाएं संविधान में उल्लिखित हैं-

- राजस्व पर बजट का खर्च अन्य खर्चों के मामले में अलग होगा।
- बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
- उचित विधि के बिना निश्चित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा।
- राष्ट्रपति इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करेगा।
- संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती।
- बिना राष्ट्रपति के संस्तुति के कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में पेश नहीं होगा। इस तरह के किसी विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा।
- खर्च के अनुमान को संचित निधि के संदर्भ में स्पष्ट किया जाना चाहिए।

पारित होने की प्रक्रिया

बजट संसद में निम्नलिखित 6 स्तरों से गुजरता है-

- संबंधित विधेयक का पारित होना।
- वित्त विधेयक का पारित होना।
- बजट का प्रस्तुतिकरण।
- आम बहस।
- विभागीय समितियों द्वारा जांच।
- अनुदान की जांच पर मतदान।

निधियां (फंड्स)

भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए निम्नलिखित तीन प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है-

- **भारत की संचित निधि:** यह एक ऐसी निधि है जिसमें सभी प्रकार के भुगतान की पावती एवं धनराशि जमा होती है। (अ) सभी राजस्व भारत सरकार द्वारा स्वीकारे जाते हैं, (ब) सभी प्रकार के लोन सरकार द्वारा जारी किए जाते है, (स) लोन के भुगतान के संबंध में सभी धन संचित निधि से सरकार द्वारा लिया जाता है। सभी विधि सम्मत भुगतान भारत सरकार द्वारा संचित निधि से किया जाता है।
- **भारत का सार्वजनिक लेखा:** सभी अन्य सार्वजनिक धन (भारत की संचित निधि में जमा के अलावा) भारत सरकार या उसके लिए भारत के सार्वजनिक लेखा में जमा होता है। इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि शामिल हैं। इस खाते को कार्यकारी क्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- **भारत की आकस्मिकता निधि:** संविधान संसद को 'भारत की आकस्मिक निधि' के गठन की अनुमति देता है। संसद द्वारा 'भारत की आकस्मिक निधि' अधिनियम 1950 से शुरू हुआ। निधि को वित्त सचिव की ओर से राष्ट्रपति द्वारा रखा जाता है। भारत के सार्वजनिक लेखा की तरह इसे विशेष क्रिया से संचालित किया जाता है।

राज्यसभा की स्थिति

राज्यसभा की स्थिति का तीन कोणों से अध्ययन किया जा सकता है-

लोकसभा के साथ समान स्थिति

निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियां एवं स्थिति लोकसभा के समान होती है।

- संवैधानिक इकाईयों जैसे- वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, लेखा महानियंत्रक आदि की रिपोर्ट को स्वीकारना।
- उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में विस्तार।
- राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग।
- राज्यसभा उपराष्ट्रपति को अकेले हटाने की पहल कर सकती है।
- राष्ट्रपति से उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं लेखा महानियंत्रक को हटाने की सिफारिश।

- राष्ट्रपति द्वारा जारी विधेयकों की संस्तुति।
- राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकाल की संस्तुति।
- प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का चयन। संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री दोनों से किसी एक के सदस्य होने चाहिए हालांकि वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- सामान्य विधेयकों की प्रस्तुति एवं उसका अंश।
- संवैधानिक संशोधन विधेयकों की प्रस्तुति एवं उसका अंश।
- वित्तीय विधेयकों की प्रस्तुति जिनमें शामिल हैं संचित निधि से खर्च।

लोकसभा के साथ असमान स्थिति

निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियां एवं स्थिति लोकसभा से असमान हैं-

- राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा सकता है।
- राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नही हटा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति है। लेकिन राज्यसभा सरकार की नीतियों एवं कार्यों की आलोचना कर सकती है।
- लोकसभा, राज्यसभा की सिफारिशें को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोनों मामलों में इसे दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत माना जाएगा।
- वित्त विधेयक अकेले अनुच्छेद 110 का मामला नहीं है। इसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है लेकिन इसके संदर्भों के मामलों में दोनों की शक्तियां समान हैं।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे बताने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है।
- दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कमान लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है।
- संयुक्त बैठक में लोकसभा ज्यादा संख्या से जीतती है सिवा इसके कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की संख्या दोनों सदनों में विपक्ष से कम हो।
- राज्यसभा सिर्फ बजट पर बहस कर सकती है, उसके अनुदानों पर वोट नहीं।
- धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है राज्यसभा में नहीं।
- राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। उसे इस विधेयक को संस्तुति या बिना संस्तुति के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है।

राज्यसभा की विशेष शक्तियां

संघीय चरित्र होने के कारण राज्यसभा को दो विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं जो लोकसभा के पास नहीं है।

यद्यपि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां दी गई हैं लेकिन इसकी उपयोगिता निम्नलिखित आधारों पर हैं-

- यह उन अनुभवी एवं पेशेगत लोगों को प्रतिनिधित्व देती है जो सीधे चुनाव का सामना नहीं कर सकते। राष्ट्रपति 12 ऐसे लोागों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है।
- यह राज्यों के खिलाफ केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप पर राज्यहित में विरोध कर संघीय व्यवस्था को बरकरार रखती है।
- यह लोकसभा द्वारा बनाई गई अप्रभावी, लापरवाह एवं कमजोर वैधानिक प्रक्रिया की जांच दोहराने एवं उस पर गहन विचार कर उसमें संशोधन करती है या फिर सिफारिश करती है।
- यह संसद को राज्यसूची (अनुच्छेद 249) में से कानून बनाने को अधिकृत कर सकती है।
- यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवा आयोग बनाने को अधिकृत कर सकती है (अनुच्छेद 312)।

संसद की समितियां

व्यापक रूप से संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। स्थायी समिति एवं अस्थायी समिति।

सार्वजनिक लेखा समिति

इस समिति को सबसे पहले 1921 में भारत सरकार अधि नियम 1919 के तहत स्थापित किया गया और तब से यह जारी है। इस समय इसमें 22 सदस्य (15 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा से) किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जा सकता। समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है। 1966-67 तक समिति का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था। 1967 से विपक्षी दल से इसका अध्यक्ष चुना जाता है। समिति का कार्य नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक (CAG) की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना है। विस्तार रूप से कमेटी के कार्य निम्नलिखित हैं-

- संघ सरकार के मुख्य खातों एवं वित्त खातों का परीक्षण। मुख्य खातों में संसद के खर्चों का भी परीक्षण किया जाता है।
- राज्य परिषदों, व्यापार एवं निर्माण परियोजना के लेखों की जांच।
- स्वायत्त एवं अल्प स्वायत्त इकाइयों के लेखों की जांच।

- प्रत्येक वित्त वर्ष में खर्च धन का परीक्षण।

आंकलन समिति

इस समिति का उद्भव 1921 में हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली अनुमानित समिति तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में गठित की गई। 1956 में सदस्य संख्या 30 कर दी गई। सभी सदस्य लोकसभा से होते है। समिति का कार्य बजट सहित सार्वजनिक खर्चों का अनुमान लगाना है। समिति के कार्य विस्तार से इस प्रकार हैं-

- संसद में पेश किए जाने वाले अनुमानों का प्रारूप सुझाना।
- आर्थिक, संगठनों में सुधार और प्रशासिनक सुधार का प्रभाव आदि पर रिपोर्ट करना।
- नीति संबंधी सुझाए गए मामलों का परीक्षण करना।
- अर्थव्यवस्था में प्रशासनिक महत्ता के संबंध में वैकल्पिक नीतियों का सुझाना।

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति

यह समिति: कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर 1964 में बनाई गई। मूलत: इसमें 15 सदस्य (10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से) थे। 1974 में इनकी संख्या 22 (15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से) कर दी गई।

- सार्वजनिक लेखा समिति से संबंधित अन्य कार्य जिसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उन्हें उपलब्ध कराया जाए।
- सार्वजनिक उपक्रमों पर कैग की रिपोर्ट का परीक्षण।
- सार्वजनिक उपक्रमों का व्यवसाय के सिद्धांतों एवं वाणिज्य प्रयोग के तहत काम का परीक्षण।
- सार्वजनिक उपक्रमों के लेखा एवं रिपोर्ट का परीक्षण।

विभागीय स्थायी समितियां

1993 में 17 विभागीय मूलत: वित्तीय नियंत्रण से संबंधित कार्यकारी समितियां बनाई गईं। इन समितियों के न्यायक्षेत्र में सभी मंत्रालय एवं विभाग आते हैं। प्रत्येक स्थायी समिति में 45 सदस्य (30 लोकसभा से 15 राज्यसभा से) होते हैं। लोकसभा से सदस्यों को अध्यक्ष एवं राज्यसभा से सभापति मनोनीत करते हैं। 11 समितियों के अध्यक्षों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एवं बाकी 6 समितियों के अध्यक्षों को सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है।

अधीनस्थ विधानों पर समिति

यह सदन की रिपोर्ट, शक्तियों एवं कार्य नियमों, उपनियम, संसद द्वारा प्रतिनिधित्व एवं उसके संविधान सम्मत कार्यों का परीक्षण करती है। दोनों सदनों में समिति के 15 सदस्य होते हैं। इसका गठन 1953 में हुआ।

संसदीय विशेषाधिकार

- यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संसदीय अधिकार राष्ट्रपति के लिए नहीं बनाये गए हैं जो संसद का एक अंतरिम भाग भी है।
- संसदीय विशेषाधिकार वे विशेष अधिकार हैं, जो स्वतंत्रतापूर्ण और नियंत्रण मुक्त हैं। ये संसद के दोनों सदनों, उनके कमेटियों तथा उनके सदस्यों को प्राप्त हैं। इनमें भारत के महान्यायवादी तथा केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।

वर्गीकरण

संसदीय विशेषाधिकारों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

- वे जो व्यक्तिगत रूप से सदस्य हों।
- वे जो संयुक्त रूप से संसद के प्रत्येक सदन का लाभ लेते हो।

सामूहिक विशेषाधिकार

- इसे अपनी रिपोर्ट, तर्क को प्रकाशित करने तथा आगे बढ़ाने का अधिकार है तथा अन्य द्वारा इसके प्रकाशन को निषेध करने का भी अधिकार है।
- यह अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है।
- यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंध तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है।
- सदन क्षेत्र में अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति (सदस्य या बाहरी व्यक्ति) बंदी नहीं बनाया जा सकता।
- यह सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को इसके अधिकारों के नियम भंग करने या इसका अपमान करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास द्वारा दंड दे सकती है।
- न्यायालय, सदन या इसकी कमेटी की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है।
- यह अन्वेषण (पूछताछ) गठित कर सकता है तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकता है।

व्यक्तिगत अधिकार

- वे न्यायिक सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं।
- उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है।
- उन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है।